संख्या-114/भा.स.-35/84-1-13-05बामा/2013

प्रेषक,

हरि कान्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 04 दिसम्बर, 2013

विषय- भारत सरकार के द्वारा जनपद वाराणसी में क्षेत्रीय निर्देशमानक प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-92/1137/84-1-13-05बामा/2013, दिनॉक 11-11-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अपेक्षानुसार जनपद वाराणसी में क्षेत्रीय निर्देशमानक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु जनपद वाराणसी की तहसील पिण्डरा के ग्राम कुरू में चयनित भूमि खसरा संख्या-895 के अन्तर्गत कुल 1.3 हैक्टेअर भूमि जो ग्राम सभा की है, को भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में नि:शुल्क आबंटित कराते हुए शासन को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अभी तक भूमि का पुनर्ग्रहण कर भारत सरकार के पक्ष में आबंटित किये जाने के संबंध में कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अत: कृपया प्रश्नगत भूमि का पुनर्ग्रहण कर भारत सरकार के पक्ष में आबंटित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि कान्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-114/भा.स.-35(1)/84-1-13-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
2- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरि कान्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in